पत्रांक–06/खा0 म0 पटना (मार्गदर्शन)–03/2022– (6)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती किये जाने के संबंध में विभाग स्तर पर गठित समिति के साथ हुए विचार–विमर्श के पश्चात् सैनिकों को भूमि बंदोबस्त किये जाने के संबंध में प्रक्रिया नये सिरे से निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए वैसे सैनिकों, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए है, उनके आश्रितों के साथ कृषि कार्य हेतु 01 एकड़ या आवासीय कार्य हेतु 05 डी0 भूमि निम्न शर्तों पर उपलब्ध कराये जाने का विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :–

(क) जो कम–से–कम 6 महीनों तक लगातार सैनिक सेवा कर चुके हों।

(ख) जो कार्यरत रहते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त कर चुके हों, उनके परिवार के साथ सलामी एवं 05 वर्षों तक वार्षिक लगान बिना लिए ही कृषि कार्य हेतु 01 एकड़ या आवासीय कार्य हेतु 05 डी0 में से कोई एक भूमि बंदोबस्त की जायेगी। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रित को गृह जिला के गृह प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि की उपलब्धता की स्थिति में ही भूमि बंदोबस्त की जाएगी।

(ग) इसी प्रकार बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स, बी0एम0पी0, टेरिटोरियल आर्मी, सेन्ट्रल रिजर्व फोर्स, बोर्डर स्काउट्स, बी0आर0एफ0, लोक सहायक सेवा, एन0सी0सी0 होम गार्ड्स और आसाम राइफल (किन्तु अन्य आरक्षी दल नहीं) के जवानों की सेवाएं युद्धकाल में महत्वपूर्ण होती है। अतः इन सैनिकों को भी युद्ध में वीरगति प्राप्त किये जाने की स्थिति में उनकें आश्रित को कृषि कार्य हेतु 01 एकड़ या आवासीय कार्य हेतु 05 डी0 में से कोई एक भूमि बंदोबस्त की जाएगी, बशर्ते कि :–

(i) सेलर्स, सोलअर्स एवं एअर मेन बोर्ड द्वारा उनकें आश्रित के पक्ष में आवेदन–पत्र अनुशंसित हो, तथा

(ii) कम–से–कम 06 महीनों तक लगातार संतोषजनक सेवा कर चुके हों (इस संबंध में सेलर्स, सोलवर्स एवं एअर मेन बोर्ड प्रमाण–पत्र देगा)।

(घ) उपर्युक्त वर्णित तरीके से जमीन बंदोबस्ती करने के पहले यह अवश्य देख लिया जाय कि आवेदक आश्रित बिहार राज्य के निवासी हैं और उनके पास आवास हेतु अपनी जमीन है या नहीं। अगर उनके पास आवास हेतु जमीन पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में भूमि बंदोबस्त नहीं कराई जायेगी। जो भी भूमि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रित के साथ बंदोबस्त की जाय वह सब प्रकार से विवादमुक्त होनी चाहिए।

3. आश्रित के साथ जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति पूर्ववत् जिला के समाहर्ता को ही रहेंगी। अपनी शक्ति के प्रयोग में जिला के समाहर्ता ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी जमीन की ही बन्दोबस्ती करेंगे।

4. आश्रित के साथ भूमि बंदोबस्ती किये जाने के पूर्व यह देख लेना आवश्यक होगा कि उक्त भूमि भू–दान, भू–हदबंदी, सैरात, कब्रिस्तान, श्मशान, मंदिर, मस्जिद, अतिक्रमण आदि से मुक्त हो तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का विवाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं हो।

5. उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित प्रावधान पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे एवं सैनिकों के साथ भूमि बंदोबस्ती के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी पत्र/आदेश, पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावहीन समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जय सिंह)
सचिव
(6) रा0, पटना दिनांक–.....

ज्ञापांक–.....
प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव
(6) रा0, पटना दिनांक–.....

ज्ञापांक–.....
प्रतिलिपि–सचिव, सोलजर्स, सेलर्स एवं एअर मेन बोर्ड, सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव
(6) रा0, पटना दिनांक–06/02/26

ज्ञापांक–85
प्रतिलिपि–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव
6/2/26